

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना
(विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना)
सकारण आदेश.

/पटना दिनांक-08.07.2026

पत्रांक -

CWJC No-4651/2024 (सुधीर कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-30.03.2026 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है: -

“As such, this court without entering into the merit or demerit of this case hereby directs the petitioner to file their representation along with a copy of this order before the Secretary, State Board of Technical Education, 4th floor Technology Bhawan, Visheshwariaya Bhawan, Patna (Respondent No -4), within 30 days. Upon receipt of the same the respondent no-4 is directed to pass a reasoned and speaking order within 90 days thereafter.

Accordingly, with the aforesaid direction, this writ petition stands disposed off”

यह कि माननीय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता मो० जफर आलम द्वारा दिनांक-29.04.2026 को एक अभ्यावेदन अद्योहस्ताक्षरी को दिया गया। अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन नहीं दिया गया।

यह कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन दिनांक-29.04.2026 क अवलोकन किया। उक्त आवेदन में मुख्य रूप से याचिकाकर्ता द्वारा नियमित शिक्षक के समान संविदा शिक्षकों को भी सभी प्रकार का अवकाश अनुमान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

यहाँ ज्ञात हो कि विभागीय आदेश संख्या-वि० प्रा० (II) अवकाश -18/2022/3443 दिनांक-09.08.2024 द्वारा नियमित शिक्षकों के अवकाश की तरह संविदा शिक्षकों को भी बिहार सरकार के सामान्य अवकाश के अलावे अन्य दो अवकाश यथा ग्रीष्मावकाश एवं क्रिसमस अवकाश दिये जाने की अनुमति दी गई है। संविदा शिक्षकों को सिर्फ प्रतिबंधित (ऐच्छिक) अवकाश अनुमान्य नहीं है। जैसे -नववर्ष, मकर संक्रान्ति, रक्षा बंधन, विश्वकर्मा पूजा, अन्नत चतुदर्शी जैसे प्रतिबंधित (ऐच्छिक) अवकाश।

यह कि सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, बिहार पटना द्वारा पत्रांक-6537 दिनांक-19.12.2025 को वर्ष 2026 के लिए जारी किये गए अवकाश तालिका में टंकण भूल के कारण शिक्षकों में नियमित एवं संविदा दोनों लिख दिया गया। परंतु पर्षद के पत्रांक-221 दिनांक-09.01.2026 द्वारा शद्धि पत्र निर्गत कर उक्त टंकण भूल को सुधार कर दिया गया एवं लिखा गया है कि शिक्षकों (नियमित एवं संविदा) के स्थान पर मात्र नियमित शिक्षक समक्षा जाय। संविदा शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत विभागीय आदेश

संख्या- वि० प्रा० (II) अवकाश -18/2022/3443 दिनांक-09.08.2024 का ही अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

चूँकि वर्तमान में विभागीय आदेश संख्या- वि० प्रा० (II) अवकाश -18/2022/3443 दिनांक-09.08.2024 संविदा शिक्षकों पर लागू है, अतः इन्हें नियमित शिक्षकों की तरह प्रतिबंधित (ऐच्छिक) अवकाश अनुमान्य नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये अभ्यावेदन दिनांक- 29.04.2026 को समयक विचारोपरांत निष्पादित किया जाता है।

आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध करा दी जाय।

ह०/-

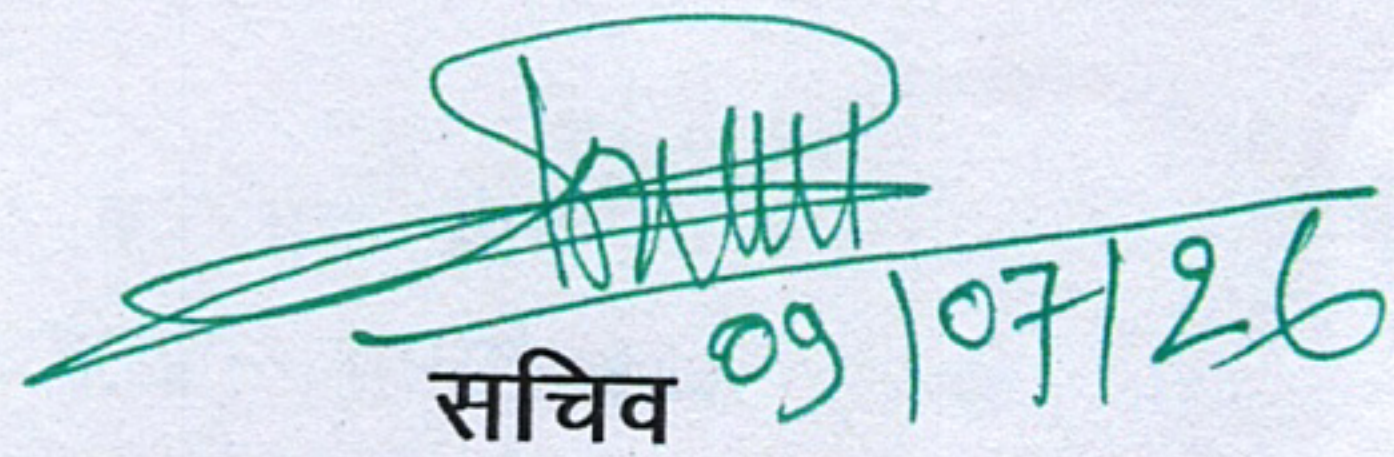
सचिव

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, (बिहार पटना)
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 2170

पटना/ दिनांक-10.07.2026

प्रतिलिपि-(1) मो० जफर आलम, पिता-मो० अजिउल हक, पता-रामबाग, पो०+थाना-नाथ नगर, भागलपुर वर्तमान में राजकीय पोलिटेकनिक खगड़िया में पदस्थापित।


सचिव 09/07/26

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, (बिहार पटना)
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना